

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील भिचौलीहप्पी जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक615/अ-6/2022-23

श्रीमति चेतना पति श्री अंशुल गोवर
अंशुल पिता श्री विरेन्द्र गोवर
155 भक्त प्रहलाद नगर बालाजी विहार इन्दौर

केता/आवेदक

विरुद्ध

ओयस्टर बिडिलिंग इंडिया प्रा. लि.
201 स्टारलिट टावर 29 व्हाय. एन. रोड़ इन्दौर विकेता/अनावेदक

// आदेश //
(दिनांक : 03/03/2023 को)

(भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत पारित)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है, कि आवेदक श्री श्रीमति चेतना पति श्री अंशुल गोवर, अंशुल पिता श्री विरेन्द्र गोवर पता - 155 भक्त प्रहलाद नगर बालाजी विहार इन्दौर द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP179092022A11202494 दिनांक 02-12-2022 के आधार पर ग्राम-बिहाड़िया में स्थित भूमि सर्वे नंबर 79 / 1 व अन्य का कुल रकबा 8.361 हेक्टे. पर स्थित कॉलोनी " ग्रीन फील्ड टारुन " स्थित भुखण्ड 155 क्षेत्रफल 1377.78 sq.ft.s. व्यपवर्तित (आवासीय) भूमि पर राजस्व रिकार्ड में नांमातरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया। अतः राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि पर केता आवेदक का नाम दर्ज हो।

आवेदन पत्र के संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गई नियत समयावधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्रकरण में अनावेदक/विकेता द्वारा स्वयं का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक की पुष्टि की तथा उल्लेखित किया है, कि वादोक्त भूमि मिसल बंदोबस्त में शासकीय मद में दर्ज नहीं है। उक्त भूमि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा व्यपवर्तित है। अतः नामांतरण में कोई आपत्ति नहीं पाई जाती है।

अतः उपरोक्त आधार पर आवेदक/केता श्री श्रीमति चेतना पति श्री अंशुल गोवर, अंशुल पिता श्री विरेन्द्र गोवर पता- 155 भक्त प्रहलाद नगर बालाजी विहार इन्दौर का नाम म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 109-110 के अन्तर्गत ग्राम-बिहाड़िया में स्थित भूमि सर्वे नंबर 79 / 1 व अन्य का कुल रकबा 8.361 हेक्टे. पर स्थित कॉलोनी " ग्रीन फील्ड टारुन " स्थित भुखण्ड 155 क्षेत्रफल 1377.78 sq.ft.s. व्यपवर्तित (आवासीय)भूमि पर परिवर्तित भू-राजस्व रूपय 64/- प्रतिवर्ष एवं पंचायत उपकर रूपये 32/- प्रतिवर्ष पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। आवेदक वर्ष 2020-21 से भू-राजस्व एवं नियमानुसार पंचायत उपकर जमा करें। पुनः निर्धारण संबंधी जो आदेश प्रकरण में पारित किया जायेगा वो इस प्रकरण में बंधन कारक होंगे। किसी न्यायालय में उक्त भूमि के संबंध में स्वत्व संबंधी कोई भी वाद/विवाद/स्थगन होने एवं मिसल बंदोबस्त वर्ष 1925-26 एवं 1958-59 में उक्त भूमि शासकीय मद में दर्ज होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा

प्रकरण दायरे से कम हो। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रेकार्ड हों।

मेरे द्वारा बोलकर टंकण कराया गया।

प्रकरण आज दिनांक 03/03/2023 को खुले न्यायालय में पारित एवं उदघोषित।

प्रतिलिपि -

राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी, ग्राम बिहाड़िया तह. व जिला इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि तदनुसार रिकार्ड में अमल कर पालन प्रतिवेदन 3 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

नायबतहसीलदार
तहसील भिचौलीहप्पी जिला इन्दौर
तहसील भिचौलीहप्पी इन्दौर